राजस्थान सरकार

कार्यालय राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– पीसीपीएनडीटी सैल/2010/561 — दिनांकः– 28/11/2010

परिपत्र क्रमांक – 8/2010

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत सलाहकार समिति की भूमिका

1. राज्य समुचित प्राधिकारी के यह ध्यान में लाया गया है कि, राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन में, सलाहकार समितियों की भूमिका के बारे म अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के पश्चात भी, समुचित प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की अनुपालना में, विधि सम्मत निर्णय नहीं लिये जा रहे हैं एवं सलाहकार समितियों की सलाह पर आपराधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है जो, विधि सम्मत नहीं होकर गंभीरता का विषय है।
2. जिलों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह भी जानकारी में आया है कि, समुचित प्राधिकारियों के द्वारा केन्द्रों के निरीक्षण अथवा शिकायतों के आधार पर, अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने के पश्चात, सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर, आपराधिक कार्यवाही से संबंधित निर्णय, सलाहकार समितियों की बैठक में पारित करवाये जाते हैं, फलस्वरूप उन निर्णयों के आधार पर आपराधिक प्रकरणों में कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया जाता है, जो विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि अधिनियम की प्रत्येक धारा एवं नियम का उल्लंघन पाये जाने पर, धारा 23 एवं 25 के अन्तर्गत, न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना, समुचित प्राधिकारी के लिये विधिक रूप से आवश्यक हो जाता है
3. अधिनियम में सलाहकार समिति की भूमिका के संबंध में, यहां यह उल्लेखनीय है कि, धारा 17(4)(डी) के अन्तर्गत सलाहकार समिति की सलाह केवल पंजीयन प्रमाण पत्र के आवेदन पर एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के निलम्बन या निरस्त करने की शिकायत पर तथा धारा 17(4) (आई) के अन्तर्गत प्राप्त शिकायत पर अनुसंधान के पश्चात पंजीयन प्रमाण पत्र के निलंबन एवं निरस्तीकरण के संबंध में ही प्राप्त की जा सकती है, अर्थात केवल पंजीयन प्रमाण पत्र के विनियमन पर ही सलाहकार समिति की सलाह प्राप्त की जा सकती है एवं शिकायतों की जांच में अनुसंधान के पश्चात प्राप्त तथ्यों के आधार पर, केन्द्र के विरूद्व आपराधिक कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिये, सलाहकार समिति की सलाह प्राप्त नहीं की जा सकती है एवं इस संबंध में सलाहकार समिति से प्राप्त की गई, अथवा ली गई सलाह, विधिक रूप से व्यर्थ एवं शून्य (Null & Void) है, एवं इस प्रकार से लिये गये निर्णय विधिक प्रावधानों के क्षेत्राधिकार से बाहर

परिपत्र क्रमांक — 8/2010

लिये गये निर्णय हैं, जो किसी भी प्रकार से सलाहकार समिति के सदस्यों अथवा समुचित प्राधिकारी को, अपने विधिक उत्तरदायित्व से मुक्ति प्रदान नहीं करते हैं, अर्थात इस प्रकार से लिये गये निर्णय विभागीय जांच की विषय–वस्तु होने के साथ ही आपराधिक उत्तरदायित्व का भी निर्धारण करते है।

4. राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक में इन समस्त तथ्यों पर विचार किया जाकर इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया गया एवं राज्य समुचित प्राधिकारी के द्वारा, राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिये, निम्न प्रकार से निर्णय लिये जाकर, समस्त समुचित प्राधिकारियों को एतद् द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

   (1) आपराधिक प्रकरणों में केन्द्रों के विरूद्व परिवाद प्रस्तुत करने से संबंधित निर्णय, समुचित प्राधिकारी के द्वारा अपने स्तर पर लिये जाकर, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं सलाहकार समिति की राय, आपराधिक प्रकरणों में प्राप्त नहीं की जावे।

   (2) आपराधिक प्रकरणों में, सलाहकार समिति द्वारा, अब तक पूर्व में दी गई सलाह पर, लिये गये निर्णयों का पुर्नावलोकन किया जावे एवं प्रकरणवार प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, समुचित प्राधिकारी के द्वारा उन समस्त निर्णयों पर पुनः समीक्षा करके, निर्णय लेते हुये नतीजा प्रदान किया जावे तथा ऐसे प्रकरणों एवं पूर्व में सलाहकार समितियों की सलाह लेने वाले समुचित प्राधिकारियों की सूची तुरंत राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जावे।

5. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि, समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जावे तथा इस पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे। उक्त आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

(डॉ0 प्रीतम बी यशवन्त आई.ए.एस.)
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।

– –

2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
3. सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
5. निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
6. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एंव जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
8. उपनिदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
10. विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
12. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

(डॉ0 एम.एल.जैन) 25/11
राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं
निदेशक (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर